URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(317) ग्राविवि / ग्रुप–5 / पीएमएवाई / गुणवत्ता नियंत्रण / 2017–18 जयपुर, दि. 04 मई, .2018

जिला कलक्टर,
अलवर, बांसवाडा, जयपुर,
राजसमंद, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर

विषय :– निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018, 28.02.2018, 21.03.2018 एवं 25.04.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक–एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रासंगिक पत्रों द्वारा स्मरण कराने के उपरान्त भी आपके जिले की सभी पंचायत समितियों में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना की सूचना आदिनांक तक अप्राप्त रही है, जो खेदजनक है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी पंचायत समितियों में गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.05.2018 तक स्थापित करवाया जाकर स्थापना का प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे, अन्यथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये निर्देशों की पालना में प्रयोगशाला स्थापना नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव, ग्राविं एवं पंराविं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) अलवर, बांसवाडा, जयपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर।
3. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

4/5/18

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)